


5



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी - 5616/2018/अशोकनगर/शु.श.

श्री. क. ल. शर्मा  
4-9-18

श्री. क. ल. शर्मा  
प्रस्तुत।  
दिनांक 25-9-18  
न्यायालय  
श्रीमान राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर  
4-9-18

1. मुन्नीलाल पुत्र अमर
  2. देवीसिंह पुत्र नत्था
  3. रेखा पुत्री नत्था
  4. रामकली पुत्री नत्था
  5. सीता पुत्री नत्था
  6. घुल्ला पुत्री नत्था
  7. सुकिया पुत्री नत्था
  8. कुशुम वेवा नत्था
  9. फुलिया बाई पुत्री अमर
- समस्त जाति दीग  
निवासीजन सकर्षा तहसील  
ईसागढ़ जिला अशोकनगर  
म.प्र.

- निगरानीकर्ताजन

वनाम

1. देवीलाल पुत्र सामलिया
  2. राजेश पुत्र सामलिया
- समस्त जाति जाट  
निवासीजन सकर्षा तहसील  
ईसागढ़ जिला अशोकनगर  
म.प्र.

- प्रतिनिगरानीकर्ताजन

देवीसिंह

3

विषय:- निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 न्यायालय तहसीलदार वृत्त कदवाया तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प. के प्रकरण नं. 41/अ-12/2017-18 में दिनांक 06/07/2018 राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गए सीमांकन के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा में सविनय निवेदन निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है-

1. यह कि निगरानीकर्ताजन ग्राम सकर्रा के निवासीजन है। व गरीब कृषक है।
2. यह कि निगरानीकर्ताजन की भूमि ग्राम सकर्रा में सर्वे क्र. 6 रकवा 0.073 हे. सर्वे क्र. 7 रकवा 0.042 हे. सर्वे क्र. 8/1 रकवा 0.652 हे. सर्वे क्र. 240/2 रकवा 0.392 हे. सर्वे क्र. 460/1 रकवा 0.021 हे. सर्वे क्र. 521/1 रकवा 0.136 हे. सर्वे क्र. 549/1 रकवा 0.017 हे. सर्वे क्र. 553/1 रकवा 0.020 हे. सर्वे क्र. 622/1 रकवा 0.111 हे. सर्वे क्र. 623/1 रकवा 0.101 हे. सर्वे क्र. 634/1 रकवा 0.034 हे. सर्वे क्र. 657/2 रकवा 0.282 हे. सर्वे क्र. 658 रकवा 0.036 हे. सर्वे क्र. 824/1 रकवा 0.383 हे. सर्वे क्र. 868 रकवा 0.021 हे. सर्वे क्र. 869/1 रकवा 0.034 हे. कुल कित्ता 16 कुल रकवा 2.452 हे. भूमि स्थित है।
3. यह कि उक्त भूमि निगरानीकर्ताजन के बाप-दादाओं के समय से चली आ रही है। पूर्व में निगरानीकर्ताजन के बाबा उक्त भूमि पर काबिज थे। व फसल बोकर लाभ लेते चले आ रहे है।
4. यह कि मौके पर पूर्व से ही मेढे वनी हुई है। व एक ओर पत्थर का कोट बना हुआ है।
5. यह कि प्रतिनिगरानीकर्ताजन देवीलाल व राजेश ने न्यायालय श्रीमान के यहाँ सीमांकन हेतु आवेदन सर्वे क्र. 859/1 का दिया गया है।

नि. शंकरा

नि. राजेश

नि. देवीलाल

नि. शंकरा

नि. राजेश

नि. देवीलाल

नि. शंकरा

3

नि. देवीलाल

श्रीत

देवीलाल

नि. राजेश

नि. शंकरा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-5616/2018/अशोकनगर/भू.रा.

मुन्नीलाल आदि विरुद्ध देवीलाल व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	सक्षम सदस्य
17-06-2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</li><li>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</li><li>3. यह निगरानी तहसीलदार वृत्त-1 कदवाया तहसील ईसागढ़, जिला-अशोकनगर के प्र. क्र. 41/अ-12/2017-18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 06-07-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</li><li>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</li><li>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़, जिला-अशोकनगर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 08-08-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</li></ol>	<p>(आर.के. जैन) 17/6/19 सदस्य</p>